

हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद

बाल शिक्षण भत्ता की प्रतिपूर्ति

(संदर्भ: भा.स.का.ज्ञा.सं.12011/03/2008 (भत्ता) दिनांक 02/09/2009)

1. प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित बच्चों/बच्चा जिसके संबंध में बाल शिक्षण भत्ता की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, पूर्णतः मेरे ऊपर आश्रित है:-

बच्चे का नाम तथा जन्मतिथि	विद्यालय का नाम	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है एवं अकादमिक वर्ष	कुल बाल शिक्षण भत्ते का भुगतान	दावा की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)				
#शिक्षा शुल्क - पूरे वर्ष/I/II/III/IV - अवधि /				रु.
पुस्तक की खरीद		(1 सेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष)		रु.
नोट बुक की खरीद		(1 सेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष)		रु.
यूनिफार्म की खरीद		(2 सेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष)		रु.
स्कूल जूते की खरीद		(1 सेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष)		रु.
कुल उपरोक्त कॉलम 4 में भरें				रु.
बच्चे का नाम तथा जन्मतिथि	विद्यालय का नाम	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है एवं अकादमिक वर्ष	कुल बाल शिक्षण भत्ते का भुगतान	दावा की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2)				
#शिक्षा शुल्क - पूरे वर्ष/I/II/III/IV - अवधि /				रु.
पुस्तक की खरीद		(1 सेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष)		रु.
नोट बुक की खरीद		(1 सेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष)		रु.
यूनिफार्म की खरीद		(2 सेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष)		रु.
स्कूल जूते की खरीद		(1 सेट प्रति बच्चा प्रति वर्ष)		रु.
कुल उपरोक्त कॉलम 4 में भरें				रु.

2. प्रमाणित किया जाता है कि बच्चों/बच्चे के संदर्भ में दर्शाये गये शिक्षण भत्ता का भुगतान मेरे द्वारा किया गया है (रसीद संलग्न)
(नोट: विद्यालय शुल्क कार्ड एवं बैंक चालान/भुगतान रसीद/क्रय रसीदों की मूल प्रति संलग्न की जाये।)
3. प्रमाणित किया जाता है कि:-
i) मेरे/मेरी पति/पत्नी केन्द्र सरकार के कर्मचारी नहीं है।
ii) मेरे/मेरी पति/पत्नी केन्द्र सरकार के कर्मचारी है तथा वह हमारे बच्चों/बच्चे के संबंध में बाल शिक्षण भत्ता का दावा नहीं किया है/नहीं करेंगे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि दावे में शामिल अवधि में बच्चा नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहा है तथा बिना उचित छुट्टी के एक माह से अधिक समय तक वह विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है।
5. उपरोक्त तथ्य में किसी ऐसे परिवर्तन, जो बाल शिक्षण भत्ता की योग्यता को प्रभावित करता हो, होने पर मैं शीघ्र सूचित करने का वचन देता हूँ तथा अधि-भुगतान, यदि कोई हो, को भी मैं वापस करने का वचन देता हूँ।

नोट: #शिक्षा शुल्क अर्थात् प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कृषि हेतु विशेष शुल्क, इलेक्ट्रानिक्स, संगीत या अन्य कोई विषय, कार्य अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावहारिक कार्य हेतु लिए गए शुल्क, बच्चों द्वारा प्रयुक्त उपकरणों के उपयोग हेतु भुगतान शुल्क, खेल शुल्क तथा अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों हेतु शुल्क।

संलग्नक:

स्थान व दिनांक:

(कर्मचारी का हस्ताक्षर)

HARISH-CHANDRA RESEARCH INSTITUTE, ALLAHABAD

REMBURSEMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

(Ref: GOI.OM No. 12011/03/2008 (Allowance) Dated 02/09/2009)

1. Certified that the children/child mentioned below in respect of whom reimbursement of Children Education Allowance claimed is wholly dependent upon me:-

Name the Child & Date of Birth	School in which studying	Class in which studying & A/Y	Total Education allowance paid	Total Amount of Reimbursement claimed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)				
#Tuition fees-for the Whole Year /I/II/III/IV-Term/				Rs.
Purchase of books (one Set/per child/per A/Y)				Rs.
Purchase of Note books (one Set/per child/per A/Y)				Rs.
Purchase of Uniforms (Two Sets/per child/per A/Y)				Rs.
Purchase of school shoes (one Set/per child/per A/Y)				Rs.
Total to be filled in column 4 above				Rs.
Name the Child & Date of Birth	School in which studying	Class in which studying & A/Y	Total Education allowance paid	Total Amount of Reimbursement claimed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2)				
#Tuition fees- for the Whole Year /I/II/III/IV-Term/				Rs.
Purchase of books (one Set/per child/per A/Y)				Rs.
Purchase of Note books (one Set/per child/per A/Y)				Rs.
Purchase of Uniforms (Two Sets/per child/per A/Y)				Rs.
Purchase of school shoes (one Set/per child/per A/Y)				Rs.
Total to be filled in column 4 above				Rs.

2. Certified that the Education Allowance indicated against the Child/Children has actually been paid by me (Receipts enclosed)
(Note: - Copy of School fee card & Bank Challans/paid up Receipts/purchase receipts in original are to be enclosed)
3. Certified that:-
i) my spouse is not a Central Government Servant
ii) my spouse is a Central Govt. Servant and that she/he has not claimed/will not claim children's educational allowance in respect of our child/children.
4. Certified that during the period covered by the claim the child attended the school regularly and did not absent himself/herself from the school without proper leave for a period exceeding one month.
5. In the event of any change in the particulars, given above which affect my eligibility for children's educational allowance, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments, if any made.

Note: #Tuition Fee Means Tuition fee, admission fee, lab fee, special fee charged for agriculture, electronics music or any other subject, Fee charged for practical work under the programme of work experience, fee paid for the use of any aid or appliance by the child, library fee, games/sports fee and fee for extra curricular activities.

Encl:-

Place & Date: _____

(Signature of the Employee)